प्रभात खबर

बिहार भेजी जा रही 225 पेटी अवैध नकली शराब बरामद, चार गिरफ्तार

एक डीसीएम गाड़ी व दो चार पहिया वाहन किया गया जब्त : एसपी प्रतिनिधि, नारायणपुर. जामताड़ा पुलिस ने रविवार की देर रात अवैध शराब कारोबार के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की. गोविंदपुर-साहेबगंज मुख्य मार्ग पर नकली विदेशी शराब भारी खेप जब्त की. पुलिस ने पांडेयडीह मोड़ के समीप जांच अभियान चलाकर एक डीसीएम वाहन तथा दो चारपहिया वाहनों से कुल 225 पेटी अवैध नकली विदेशी शराब और 78 गैलन स्प्रीट बरामद की. इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. नारायणपुर थाना कांड संख्या 132/25 के तहत मामला दर्ज किया गया है. यह जानकारी सोमवार को पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने प्रेस कांन्फ्रेंस कर दी. बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि डब्ल्यूबी 51सी-5752 नंबर की डीसीएम गाड़ी में कुरकुरे की बोरियों के बीच छिपाकर भारी मात्रा में नकली शराब बिहार ले जाई जा रही है, जबकि दो चारपहिया वाहन उसे स्कॉर्ट कर रहे हैं. सूचना के बाद एसपी के निर्देश पर एसडीपीओ आनंद विकास लागोरी के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया. रात लगभग 10 बजे टीम ने पांडेयडीह मोड़ पर वाहनों की गहन जांच शुरू की. इस दौरान वाहन से रॉयल स्टेग ब्रांड की 210 पेटी अवैध नकली शराब, 78 गैलन स्प्रीट तथा कुरकुरे के बोरे बरामद किए गए. वहीं स्कॉर्ट में चल रहे वाहन जेएच09 एडब्ल्यू 1734 से 8 पेटी और जेएच 10 डीसी 4782) से 7 पेटी अवैध शराब मिली. बताया कि उक्त जब्त शराब का झारखंड में सरकारी दर पर अनुमानित कीमत 15 लाख 95 हजार रुपये आंकी गयी है, जबकि बिहार में इसकी कुल अनुमानित मूल्य करीब 45 लाख रुपये हैं.

Source: https://www.prabhatkhabar.com/state/jharkhand/jamtara/225-cases-of-spurious-liquor-being-sent-to-bihar-seized